न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/8483/2006/भरतपुर

1– मु0 हरदेई पत्नि मिजाजी लाल जाति मीणा, निवासी ग्राम सेवला, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।

------ अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) ज्योति पारीक, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री हनुमान प्रसाद, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक :– 20.10.2022

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प बयाना द्वारा अपील संख्या 100/2005 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2006 बउनवानी मु0 हरदेई बनाम सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादिनी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 514 रकबा 169 वाके ग्राम सेवला तहसील बयाना है जिसमें से अपीलांट/वादिनी 3 बीघा 10 बिस्वा पर इकचक खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। ख0नं0 514 में वादिनी के पति ने अपने जीवनकाल में जीवनधारा योजना के तहत पंचायत समिति बयाना द्वारा एक पुख्ता कुआ का निर्माण कराया था जिससे विवादित आराजी की

निरन्तर सिंचाई करती चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग के दौरान सैटलमेन्ट खसरा नं0 514 के नवीन नंबर 482, 483, 484, 485 बनाते हुए जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस तैयार किया है। खसरा नं0 483 में चाह पुख्ता को गैर मु0 कुआ व खसरा नं0 482, 484, 485 को गै0मु0 पहाड़ अंकित करते हुए सिवायचक अंकित कर दिया जो खिलाफ मौका तथा खातेदारी की आराजी को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर पटवारी हल्का ने वादिनी को बेदखल करने की धमकी दी। अतः दावा डिक्री किया जावें। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाब के आधार के तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–01–2005 से दावा वादिनी खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प बयाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिन्होंने उपस्थित योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2006 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2006 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए उसमें अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नं0 514 रकबा 1 बिस्वा गुलाब से रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12–05–1992 से क्रय की है एवं खसरा नं0 514 मिन रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की खातेदार होकर कुल 3 बीघा 10 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 अनुसार वादिनी खातेदार है। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकीयात गलत तय की जो आदेश 20 नियम 5 के विरूद्ध हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045 के अनुसार वादिनी विवादित आराजी की खातेदार साबित है। वादिनी ने

विद्वान परीक्षण न्यायालय में अपना कब्जा काश्त साबित किया है। सैटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज दोहराने होते हुए उन्हें बदलने का अधिकार नहीं है। सैटलमेन्ट से पूर्व वादिनी खातेदार है जो प्रदर्श 5–6 से साबित है। विद्वान अपीलीय न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 26–03–2004 के आदेश की पालना नहीं की व कब्जे, मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए साबिक व हाल खसरा नंबर को देखते हुए तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाकर गुणावगुण पर निर्णय करें, परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार से साबिक एवं हाल खसरा नंबर बाबत् कोई जांच नहीं कराई तथा हाल रेकार्ड के आधार पर गलत निर्णय दिया है। वादिया का दावा हाल सैटलमेन्ट के द्वारा किये गये इन्द्राज को दुरूस्ती करने का है कि सैटलमेन्ट ने पूर्व इन्द्राज बदल दिये जबकि पूर्ववतः इन्द्राज दर्ज किये जाने चाहिए थे। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय खारिज योग्य है। बहस में आगे तर्क दिये कि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22–09–2005 से वादिनी का कब्जा काश्त साबित है। साक्ष्य के विपरीत निर्णय किया है तो द्वितीय अपील में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में राजस्व मण्डल की खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 5–7–2018, 2013 आर0आर0टी0 पेज 391, 226, 2003 आर0आर0टी0 पेज 881, 1969 आर0आर0डी0 पेज 231 के उद्धरण पेश किये।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में तर्क दिये कि विवादित आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2005 से दावा वादिनी खारिज योग्य पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प बयाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2006 से विवादित आराजी में अपीलांट को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार देय नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादिया का वाद सही रूप से खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ई.एक्स–6 नकल जमाबन्दी ग्राम सेवला सम्वत् 2042 से 2045 में खसरा नं0 514 मि0 रकबा 2 बीघा बिस्सू पुत्र बुद्धा निस्फ गुलाब पुत्र ग्यारसी निस्फ कौम काशी सा0दे0 खातेदार दर्ज है। ई. एक्स–7 नकल जमाबन्दी ग्राम सेवला सम्वत् 2042 से 2045 में खसरा नं0 514 मि0 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बोदन पुत्र किसनी कौम जाट निस्फ मु0 हरदेई पत्नि मिजाजी कौम मैना निस्प सा0दे0 खातेदार दर्ज है। खसरा नं0 514 मि0 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मु0 हरदेई पत्नि मिजाजी के नाम दर्ज है। ई.एक्स–8 नकल भू–प्रबन्ध में खसरा नं0 483 रकबा 0–01 गै0मु0 कुआं दर्ज है जो 494 मि0 से बना है। ई.एक्स–9 व 10 नकल नक्शा ट्रेस है। वादिनी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसका पूर्व की आराजी एकचक थी। खसरा नं0 514 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में वादिनी सह खातेदार है। इससे स्पष्ट है कि यह अविभाजित भूमि है। पुराना खसरा नं0 494 कि0 से बना है। वादिनी अपने व गवाह के बयान से भी यह सिद्ध नहीं कर पाई है कि विवादित भूमि व चाह की वह खातेदार काश्तकार है।

जिससे स्पष्ट है कि वादिनी अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाई है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा वादिनी का वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया गया है।

10– तहसीलदार बयाना की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट दिनांक 22–09–2005 में अंकित है कि खसरा नं0 483 रकबा 0–01 है0 गै0मु0 (चाह) सिवायचक दर्ज है लेकिन खसरा नं0 483/0.01 गै0 मु0 (चाह) सिवायचक बिला नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर कुआं का उपयोग नहाने एवं पीने के पानी के रूप में हो रहा है। लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि कुआं का निर्माण सन् 1992 में जीवनधारा के

तहत मिजाजीलाल पुत्र नेत्रराम मीणा द्वारा बनवाया गया है। कुआं में किसी का बीजक नहीं है। मौके पर भूमि पड़त है।

तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 483 रकबा 0–01 है0 कुआं सिवायचक विलानाम दर्ज रिकार्ड है।

11– विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–08–2006 द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा है जो पूर्णतया विधिसम्मत् है। योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

12– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प बयाना द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–08–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–10–2005 यथावत् रखे जाते हैं।

13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(आर0डी0 मीणा)**

सदस्य **सदस्य**